प्रेषक.

डा० रमेश चन्द्र तिवारी, उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

- 1-निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ०प्र लखनऊ।
- 2-निदेशक, जनजाति विकास, उ०प्र० लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक 10 अप्रैल, 2023

विषय- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5607/स0क0/शिक्षा-अ/2/76/2022-23 दिनांक 28.03.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण हेतु पुनः पोर्टल खोले जाने के सम्बन्ध में प्रस्तावित समय-सारिणी को जारी करने के लिए शासनादेश निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

- 2- निदेशक, समाज कल्याण द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में वित्तीय वर्ष 2022-23 में कितपय शिक्षण संस्थान/विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों के छात्रवृत्ति आवेदन पत्र अग्रसारित न होने, विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा छात्रों/संस्थाओं की प्रमाणिकता को सत्यापित न किये जाने आदि कारणों से छात्रों की छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित डाटा पर कोई कार्यवाही सम्भव नहीं होने की स्थिति में भारत सरकार की अनापत्ति के क्रम में वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुसूचित जाति के साथ-साथ अनुसूचित जनजाति छात्रों के निम्नलिखित विवरण के अनुसार पोर्टल खोले जाने हेतु समय-सारिणी तैयार की गयी है:-
  - 1- शिक्षण संस्था स्तर पर अग्रसारण न होने के कारण लम्बित आवेदन।
  - 2- परीक्षाफल विलम्ब से घोषित होने के कारण लम्बित आवेदन।
  - 3- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी स्तर पर सीट की संख्या/छात्रों की प्रमाणिकता का सत्यापन न होने के कारण लम्बित आवेदन।
  - 4- पी०एफ०एम०एस० पर पेन्डिंग/रिजेक्शन।
- 3- प्रदेश के अन्दर एवं बाहर के दशमोत्तर शिक्षण संस्थानों के लिए प्रस्तावित समय-सारिणी निम्नवत है:-

क्र0	प्रकियात्मक कार्यवाही	प्रस्तावित समयावधि
01	शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाईन आवेदन प्राप्त करना, अपात्र छात्रों	
	का आवेदन निरस्त करना तथा पात्र छात्रों का आवेदन आनलाईन	१९ अप्रैल २०२३ तक
	सत्यापित एवं अग्रसारित करना।	
02	जिला विद्यालय निरीक्षक (कक्षा 11-12 हेतु) एवं सम्बन्धित	
	विश्वविद्यालय एवं एफिलियेटिंग एजेन्सी द्वारा संस्था की मान्यता,	01 मई 2023 तक
	पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का वर्ष एवं अध्ययनरत वर्गवार वास्तविक	
	छात्र संख्या की प्रमाणिकता को डिजिटल हस्ताक्षर से आनलाईन	
	सत्यापित करना। अपात्र छात्रों, पाठ्यक्रमों, संस्थाओं को ब्लाक	
V	करना।	
03	PFMS साफ्टवेयर से सत्यापनोपरान्त डाटा वापस प्राप्त किया जाना	२० अप्रैल २०२३ से
	एवं एन0आई0सी0 की राज्य इकाई में निर्धारित विभिन्न बिन्दुओं पर	02 मई 2023 तक
)	परीक्षण किया जाना।	
04	जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में	03 मई 2023 से

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	निर्णय लिया जाना, स्वीकृत करना एवं जनपद स्तरीय विभागीय	01 जून 2023 तक
	अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से शुद्ध डाटा लाक किया जाना।	
05	सन्देहास्पद डाटा को कारणों सिहत छात्र/संस्थाओं के लागिन पर	03 मई 2023 से
	प्रदर्शित किया जाना एवं आनलाइन आवेदन में की गयी त्रुटियों को	10 मई 2023 तक
	छात्र द्वारा आनलाइन ठीक करके संस्था में जमा करने हेतु प्रिन्ट	
	निकालना।	
06	छात्र/छात्राओं द्वारा आनुलाईन आवेदन पत्र की हार्डकापी समस्त	03 मई 2023 से
	वांछित संलग्नकों सहित शिक्षण संस्था में जमा किया जाना तथा छात्र	13 मई 2023 तक
	द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्रों को विद्यालय द्वारा संलग्न	
	अभिलेखों से मिलान करके आनलाईन सत्यापित एवं अग्रसारित	
	करना।	
07	छात्र द्वारा सही किये गये सन्देहास्पद डाटा को एन०आई०सी० की	15 मई 2023 से
	राज्य इकाई में विभिन्न बिन्दुओं पर पुनः परीक्षण किया जाना।	24 मई 2023 तक
08	सन्देहास्पद डाटा के कारण पर उत्तर देने हेतु एन0आई0सी0 द्वारा	25 मई 2023 से
	छात्र/संस्था/जिला समाज कल्याण अधिकारी की लागिन पर	01 जून 2023 तक
	प्रदर्शित कराना तथा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा	1.0
	सन्देहास्पद् एवं शुद्ध डाटा के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना एवं पात्र	2
	छात्रों का शैक्षणिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति स्वीकृत करना तथा	
	जनपद् स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से डाटा	
	लाक किया जाना।	
09	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक	02 जून 2023 से
	डाटा के आधार पर एन0आई0सी0 की राज्य इकाई से माँग सृजित	08 जून 2023 तक
	कराना।	
10	जनपद स्तरीय विभागीय अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक	12 जून 2023 तक
	डाटा के आधार पर PFMS प्रणाली के माध्यम् से छात्र/छात्राओं के	
	आधार सीडेड एवं एन०पी०सी०आई० से मैप्ड बैंक खातों में	
	धनराशि अन्तरित किया जाना।	
11	भारत सरकार को 60 प्रतिशत केन्द्रांश की धनराशि भुगतान हेतु	15 जून 2023 तक
	डाटा शेयर करना।	

नोट:-

- 1- उक्त समय-सारिणी के समयावधि के अन्तर्गत वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल घोषित होने के बाद/उत्तीर्ण/प्रोन्नत (Promoted with marks) होने पर ही छात्र अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगे।
- 2- संस्था द्वारा छात्र का आवेदन आनेलाईन अग्रसारित करते समय छात्र का गत वर्ष की परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दोनो सेमेस्टर के अंकों को जोड़ते हुए) का पूर्णांक एवं प्राप्तांक तथा उपस्थिति का प्रतिशत भरना अनिवार्य होगा।
- 3- निम्न स्थिति उत्पन्न होने पर जिला समाज कल्याण अधिकारी को आवेदन को केवल निरस्त किये जाने का विकल्प दिया जायेगाः-
  - क- दिनांक 10-05-2023 तक घोषित परीक्षाफल को आवेदन में न भरने पर।
  - ख- सम्बन्धित विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी के स्तर से घोषित/अपलोड परीक्षाफल से आवेदन में छात्र द्वारा भरे गये परीक्षाफल का मिलान न होने अथवा परीक्षाफल घोषित न होने पर।
  - ग- विश्वविद्यालय/एफिलियेटिंग एजेंसी द्वारा संस्था/छात्र को सत्यापित न किये जाने पर।
  - घ- पी०एफ०एम०एस० द्वारा निरस्त किये जाने पर।
- 4- छात्र द्वारा पूर्व में किये गये आवेदन में आवश्यक संशोधन के उपरांत संस्था स्तर से पुनः अग्रसारित न होने पर संशोधन मान्य नहीं होगा।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।

5- अतएव उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त समय-सारिणी का अपने स्तर से प्रचार-प्रसार कराते हुये सुसंगत छात्रवृत्ति नियमाविलयों में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार शैक्षिक सत्र 2022-23 में अनुसूचित जाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी उप सचिव।

पु०सं०-४२ /२०२३/१०५१(१)/२६-३-२०२३ तद्दिनांकः-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित्र-

- 1- महालेखाकार, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, पिछड़ा वर्ग कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/ वित्त/नियोजन/ मा0शिक्षा/उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/व्यवसायिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ०प्र० शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- 4- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।
- ५- निदेशक, कोषागार, उ०प्र0लखनऊ।
- 6- निदेशक, पिछडा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण, उ०प्र०लखनऊ।
- 7- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 8- निदेशक, एन०आई०सी० राज्य इकाई, योजना भवन, लखनऊ।
- 9- समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र० द्वारा निदेशक, समाज कल्याण।
- १०- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी उप सचिव।

<sup>1-</sup> यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

<sup>2-</sup> इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <u>http://shasanadesh.up.gov.in</u> से सत्यापित की जा सकती है ।